पत्रांक –10/न 4–21/2003 मा0........./–
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
पटना ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– ज्ञान भारती मॉडल रेजिडेंसियल कम्पेलेक्स, धनवा (हिसुआ), नवादा को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04. 2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित सोसाईटी "ज्ञान भारती सोसाइटी" के द्वारा किया जा रहा है । शपथ पत्र के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि सोसाईटी में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नही है । संस्था के सदस्या की सूची भी दी गयी है और यह दर्शाया गया है कि उनके बीच आपसी संबंध नही है । लेकिन सदस्यों के पेशा के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद् अथवा नौकरी अंकित है । ये सामान्य शब्द हैं जिनसे स्थिति स्पष्ट नही होती है । विभागीय अधिसूचना के अनुसार न्यास के सदस्यों के पेशा की सही सही जानकारी आवश्यक है । सूची संलग्न है ।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फेन्चाईजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है ।
3. विद्यालय के द्वारा 2 एकड़ 57.5 डिसमिल भूमि 30 वर्षो के लीज पर लिया गया है । उसी भूमि पर विद्यालय का भवन निर्मित है जो विद्यालय के आवेदन के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्डों के अनुरूप है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निरीक्षण दल को विद्यालय का स्थल निरीक्षण कर विद्यालय के द्वारा दी गयी सूचना को सम्पुष्ट कर लेना होगा।
4. विद्यालय में 12 शिक्षक है, जिनमें 9 प्रशिक्षित है । आवेदन में कहा गया है कि शिक्षको की योग्यता N.C.T.E के norms के अनुरूप है । लेकिन विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षको की नियुक्ति से यह कथन विरोधाभासी हो जाता है । शिक्षको की नियुक्ति के सन्दर्भ में विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि नियुक्ति में विहित प्रकिया का अनुपालन किया गया हो ।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार के शुल्क वार्षिक लेखा, अंकेखण आदि प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक करने की सहमति दी गयी है । आवेदन के साथ चाट्रेड अकाउटेन्ट के द्वारा 31.03.2005 का लेखा दिया गया है परन्तु यह बहुत स्पष्ट नही है क्योकि इसमें शुल्कों का दर अंकित नही है ।

File: F.C-3/Secondary Education/Gyan Bharti Model School

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ज्ञान भारती मॉडल रेजिडेंसियल कम्पेलेक्स, धनवा (हिसुआ), नवादा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक ~~19.07.2006~~ 19.4.2006 की छायाप्रतिलिपि संलग्न है ।

अनुलग्नक –

विश्वासभाजन

ह0/–
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक –10/न 4–21/2003 मा0 417/–

पटना, दिनांकः– 23.6.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, ज्ञान भारती मॉडल रेजिडेंसियल कम्पेलेक्स, धनवा (हिसुआ), नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23.6.06
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग